[2022] S.C.R. 1083

NAWABUDDIN

VRS

STATE OF UTTARAKHAND

(Criminal Appeal No. 144 of 2022)

FEBRUARY 08, 2022

[M.R. SHAH AND B.V. NAGARATHNA, J.J.]

आपराधिक अपील न्यायिक क्षेत्र: आपराधिक अपील सं 144/2022 ।

उच्च न्यायालय के 22.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2018 की आपराधिक अपील नं0 280 में नैनीताल में उत्तराखंड से संबंधित है।

अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से - साजू जैकब, दिनेश मूरजानी, सदफ वली, देवांश गुप्ता, सुश्री मिली वर्मा, सुश्री अरूणा गुप्ता।

अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से - कृष्णम मिश्रा, जतिंदर भटिया।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया - एम.आर. शाह जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस और 2018 की आपराधिक अपील सं0 280 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है और अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

आई.पी.सी. की धारा 376 (2) (आई) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (इसके बाद ''पोक्सो अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 5/6 के तहत दंडनीय, मूल आरोपी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. अभियोजना पक्ष के मामले के अनुसार 17.06.2016 को शाम लगभग 5ः00 बजे, सूचनाकर्ता (अभियोजन साक्षी सं0-1) पानी लेने गई थी और उसका पति काम के लिए बाहर गया था। उस समय उसकी चारसाल की बेटी (पीड़िता लड़की) घर में अकेली थी। अभियुक्त अपीलार्थी जो अभियोजन साक्षी सं0-1 का पड़ोसी था, ने पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने के लिए झाड़ियों में ले गया। हालांकि, उस समय आरोपी को कुछ लोगों ने पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार करने की प्रक्रिया में नग्न देखा था। आरोपी और पीड़ित लड़की के कपड़े उतार दिए गए। आसपास जमा हुए लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आईपीसी की धारा 376 के साथ पठित धारा 511 और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडिनिय अपराधों के लिए अभियोजन साक्षी सं0-1 पीड़ित लड़की की माँ द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

दिनांक 17.06.2016 को अभियोजन साक्षी सं0-10 डॉ0 वंदना सुंदरियाल द्वारा पीड़ित लड़की की चिकित्सीय जांच की गई। जांच के दौरान पीड़ित लड़की के साथ साथ गवाहों का भी बयान दर्ज किया गया। जांच के निष्कर्ष के बाद जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (प) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए थे। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। इसलिए, उन पर उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वान विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

2.1 अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित करने और मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने तेरह गवाहों से पूछताछ की, जिनमें अभियोजन साक्षी सं0-1 पीड़ित लड़की की माँ और अभियोजन साक्षी सं0-10 डॉ0 वंदना सुंदरियाल शामिल है, जिन्होने 17.06.2016 को पीड़ित लड़की की जांच की थी। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया था। उनका मामला पूरी तरह से खारीज करने वाला था। सबूतों की सराहना करने और विशेष रूप से अभियोजन साक्षी सं0-10 के बयान पर भरोसा करने पर डॉ0 वंदना सुदरियाल जिनके सामने पीड़ित लड़की ने पूरी बात सुनाई। घटना में, निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (2) (प) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय आपराधों के लिए दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और रू0 50,000/- का आर्थिक जुर्माना देने का भी निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश भी पारित किया कि रू0 50,000/- के जुर्माने की राशि में से रू0 30,000/- पीड़ित लड़की को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा।

3. आक्षेपित निर्णय और विद्वान ट्रायल कोर्ट/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष, अन्य आधारों के अलावा, एक आधार यह था कि मामला पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत नही आएगा और अधिक से अधिक यह मामला पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत आ सकता है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नही था। प्रवेश और अधिकतम और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोपी ने बलात्कार करने की कोशिश की थी। विस्तृत आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और अभियुक्त की दोषसिद्धि और आजीवन

कारावास की सजा की पुष्टि की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निणर्य और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. श्री साजू जैकब, विद्वान वकील, अभियुक्त की ओर से उपस्थित हुए। अपीलकर्ता ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने और पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि की है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नही किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त को अभिसाक्षी सं0 10 डॉ0 वंदना सुंदरियाल की एकमात्र गवाही पर दोषी नही ठहराया जा सकता था।

4.2 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी तथाकथित रिकॉर्डिंग मोबाइल मे घटना को स्थापित नही किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके साबित नही किया गया है।

4.3 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह केवल गंभीर यौन हमले का प्रयास था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अभाव में प्रवेश और बढ़े हुए गंभीर यौन हमले, अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी नही ठहराया जा सकता था।

4.4 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले को देखते हुए भी, अधिक से अधिक मामला पोक्सो अधिनियम की

धारा 8 के तहत दंडनीय यौन उत्पीड़न के तहत आएगा। यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी मामले में मामला गंभीर यौन हमले के दायरे मे नही आएगा।

4.5 वैकल्पिक रूप से, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि कथित घटना के समय अभियुक्त की आयु लगभग 65 वर्ष थी और आज की तिथि में उसकी आयु 75 वर्ष है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना की तारीख पर पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अनुसार न्यूनतम सजा दल साल थी जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि आजीवन कारावास की सजा देना बहुत कठोर और किए गए अपराध के अनुपात से बाहर है। इसलिए उम्रकैद से कम सजा देने की प्रार्थना की गई है।

5. उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कृष्णम मिश्रा ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध करते हुए कहा है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिसाक्षी सं0-10-डॉ0 वंदना सुंदरियाल, जो एक स्वतंत्र गवाह है, ने अभियोजन पक्ष के मामले में पूरा समर्थन किया है।

5.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत परिभाषित प्रवेशन यौन उत्पीड़न का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 5 (एम) के अनुसार जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला करता है, उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय एक गंभीर प्रवेशन यौन हमला कहा जा सकता है।

5.2 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले में आरोपी पीड़ित लडकी का पड़ोसी था। उन्होंने एक पड़ोसी के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया और अपनी उंगली में घुसाने की कोशिश की और फिर नाबालिग लड़की के साथ

बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह बलात्कार करने में सफल हो पाता, स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी घटना पीड़ित लड़की ने डॉ0 वंदना सुंदरियाल, अभिसाक्षी सं0-10 को सुनाई थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब आरोपी ने एक पड़ोसी के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया और चार साल की लड़की पर पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध किया और जिस उद्देश्य के लिए पोक्सो अधिनियम लागू किया गया है, उसे देखते हुए अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नही दिखई जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त किसी भी सहानूभूति या किसी भी नरमी का हकदार नही है।

5.3 उपरोक्त दलीलें देते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

7. सबसे पहले यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि नीचे दोनों न्यायालयों द्वारा रिकॉर्ड किए गए समवर्ती निष्कर्ष है, रिकॉर्ड पर सबूतों की सराहना करते हुए इस आशय के रिकॉर्ड किए गए है कि आरोपी ने चार साल की पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार का अपराध करने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित और साबित किया गया है कि पीड़ित लड़की को अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा फुसलाया गया था। उसे झाड़ियों में ले जाया गया था। अभियुक्त ने अपने कपड़े के साथ साथ पीड़ित लड़की के कपड़े भी उतार दिए और उसके निजी अंगो को सहलाया और पीड़ित लड़की की योनि में अपनी उंगली घुसा दिया। डॉ0 वंदना सुंदरियाल-अभियोजन साक्षी सं0-10 इसका पूरा समर्थन करती है, जिन्होंने 17.06.2016 को पीड़ित लड़की की जांच की और जिनके सामने पीड़ित लड़की ने उसे पूरी घटना सुनाई जो प्रदर्शनी ए- 6 मेडिकल जांच रिपोर्ट में दर्ज की गई थी।

डॉ0 वंदना सुंदरियाल अभियोजन साक्षी सं0-10 जो एक स्वतंत्र गवाह है, के अनुसार पीड़ित लड़की ने उन्हें बताया कि आरोपी ने अपनी उंगली घुसाने की कोशिश की और इसलिए उसे पेशाब करने में दर्द और जलन महसूस हुई और साथ ही उसके शरीर में भी दर्द महसूस हुआ । अभियोजन साक्षी सं0-10 के अनुसार योनि में चारों और लालिमा और सूजन थी। हॉलांकी जिन अन्य गवाहों को जीत लिया गया प्रतीत होता है, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नही किया होगा, हमें अभियोजन साक्षी सं0-10 डॉ0 वंदना सुंदरियाल, जो एक स्वतंत्र गवाह है, के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नही दिखता है। अभियुक्त की ओर से कोई आरोप नही लगाया है कि डॉ0 वंदना सुंदरियाल से उनकी कोई दुश्मनी थी।इसलिए, हमारी राय है कि अभियोजन साक्षी सं0-10 डॉ0 वंदना सुंदरियाल के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित है, जिनके सामने पीड़ित लडकी ने पूरी घटना सुनाई थी जो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट अर्थात् प्रदर्शन ए-6 में दर्ज की गई थी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित और साबित किया गया है कि आरोपी पीड़ित लड़की को घर से दूर ले गया। उसे झाड़ियों में गहराई तक ले गया। उसे नंगा किया और अपने कपड़े भी उतार दिए। योनि में अपनी उंगली घुसा दी, जिसके कारण पीड़ित लड़की को पेशाब में दर्द और जलन महसूस हुई और वह उसके साथ जबरदस्ती कर बलात्कार का अपराध करने ही वाला था कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया।

7.1 अब अगला सवाल जो इस न्यायालय के विचार के लिए रखा गया है, वह यह है कि अभियुक्त ने क्या अपराध किया है। ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 (2) (प) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि अधिक से अधिक इसे प्रवेशन यौन उत्पीड़न करने का प्रयास कहा जा सकता है और इसलिए अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि पोक्सो

अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हमले का मामला कहा जा सकता है जो पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय है। इसलिए, अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि चूंकि यह न तो प्रवेशन यौन हमले का मामला है और न ही गंभीर प्रवेशन यौन हमले का मामला है। इसलिए लगाए गए आजीवन कारावास की सजा की आवश्यकता नही थी और उच्चतम स्तर पर उसे कारावास की सजा दी जा सकती है जो तीन साल से कम नही होगा, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8. उपरोक्त प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है। पोक्सो अधिनियम की धारा 3 भेदक यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक व्यक्ति को 'भेदक यौन हमला' करने वाला माना जाता है यदि (बी) वह किसी भी हद तक, शरीर के किसी हिस्से की कोई वस्तु जो कि लिंग नही है, योनी में डालता है। धारा 4 में भेदक यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 5 गंभीर प्रवेशन यौन हमला को परिभाषित करती है और धारा (5) (एम) के अनुसार जो कोई भी बारह साल से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला करता है, वह गंभीर प्रवेशन यौन हमला है।

धारा 6 में गंभीर प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा का प्रावधान है। वर्तमान मामले में, यह स्थापित और साबित किया गया है कि आरोपी ने अपनी उंगली को योनि में घुसाया और इस वजह से पीड़ित लड़की को पेशाब में दर्द और जलन के साथ साथ उसके शरीर पर दर्द महसूस हुआ और योनि के चारों और लालिमा और सूजन थी। हमारी राय है कि इसलिए मामला पोक्सो अधिनियम की धारा 3 (बी) के तहत आएगा और इसे भेदक यौन हमला कहा जा सकता है और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) को इस तरह के भेदक यौन हमले के रूप में माना जा सकता है।

चार साल (बारह साल से कम) की लडकी पर किए गए अपराध को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय उग्र भेदक यौन हमला कहा जा सकता है। इसलिए, दोनों, निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय ने आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

पोक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय है।

9. जब जहां तक अभियुक्त की ओर से प्रार्थना की गई है अपीलार्थी को कम करने पर विचार करके मामले में नरमी से विचार करना चाहिए। अभियुक्त के वृद्धावस्था की परिस्थितियां और आजीवन कारावास को किसी अन्य सजा में बदलने के लिए, पोक्सो अधिनियम के अधिनियमन के उददेश्य के आलोक में इसी पर विचार किया जाना चाहिए।

9.1 ईरा बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), (2017) 15 एस.सी.सी. 133 के मामले में, इस न्यायालय ने कथन और उद्देश्यों पर टिप्पणी की है और पैरा 20 में पोक्सो अधिनियम के कारण निम्नानुसार है -

''20'' उददेश्यों और कारणों के विवरण और पोक्सो अधिनियम की प्रास्तावना का उल्लेख करने का उददेश्य यह समझना है कि वर्तमान प्रकृति का कानून लाने का उददेश्य बच्चों को यौन हमले, उत्पीड़न और शोषण से बचाना आता है । बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करना है। एक पर प्रस्तावना की उत्साही और मेहनती समझ, यह स्पष्ट है कि यह एक बच्चे की गोपनीयता और गोपनीयता के अधिकार की आवश्यकता को पहचानती है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सभी द्वारा संरक्षित और सम्मान किया जाए। इसका अर्थ है और बच्चे को शामिल करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से। सर्वोत्तम हित और कल्याण को माना जाता है। स्वस्थ नवाबुद्दीन भी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में सर्वोपरि महत्व। बच्चे का

शारीरिक, भावनात्मक, बौद्विक और सामाजिक विकास। एक शर्त यह भी है कि यौन शोषण और यौन शोषण जघन्य अपराध है और इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। उददेश्यों और कारणों के विवरण में संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने का प्रावधान है कि बच्चों की कम उम्र का दुरूपयोग न हो और उनके बचपन को शोषण से बचाया जाए और उन्हें स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करने के लिए सुविधाऐं दी जाए। एक उल्लेख भी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि पीड़ित और गवाह दोनों के रूप में बच्चे के हित की रक्षा करने की आवश्यकता है। बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। कानून की योजना में बच्चे की गरिमा पर बहुत जोर दिया गया है। संरक्षण और ब्याज महत्वपूर्ण स्थान रखते है (पोक्सो अधिनियम की पाठ)।

9.2 अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ के मामले में एस. (2018) 17 एस.सी.सी. 291, पैरा 14 और 20 में, यह निम्नानुसार मनाया गया है कि यह अधिकार के साथ कहा जाना चाहिए कि पोक्सो अधिनियम एक लिंग तटस्थ कानून है।

''14'' इस अधिनियम को विभिन्न अध्यायों और भागों में विभाजित किया गया है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध शीर्षक वाले अधिनियम के अध्याय 2 को अलग किया गया है।

पांच भाग। उक्त अध्याय के भाग क में दो खंड है, अर्थात-

धारा 3 और धारा 4 । धारा 3 के अपराध को परिभाषित करता है। अध्याय शीर्षक उग्र भेदक यौन हमला और इसके लिए दंड में दो धाराएं है, अर्थात् धारा 5 और धारा 6 की विभिन्न उप धाराएं प्रचुर मात्रा में विभिन्न स्थितियां, परिस्थितियां और श्रेणियों में निपटना व्यक्ति जहां भेदक

यौन हमले का अपराध होगा बढ़े हुए भेदक यौन अपराध के चरित्र को लें हमला। धारा 5 (के) विशेष रूप से, एक बच्चे की मानसिक स्थिरता पर जोर देते हुए यह निर्धारित करती है कि जहां कोई अपराधी बच्चे की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर उस पर भेदक यौन हमला करता है, तो यह एक अपराध होगा।

''20'' बच्चे के बारे में बात करते हुए, एम.सी. में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एम.सी. मेहता बनाम टी.एन. राज्य (1996) 6 एस.सी.सी. 756 (2022)। एस.सी.आर. कहा है कि -

''1'' बच्चा एक मनुष्य का पिता है। एक बहादुर और जीवंत व्यक्ति के पिता बनने के लिए, बच्चे को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष में उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य और सामग्री का ज्ञान और ऐसे में खिलना ऐसा वातावरण कि उम्र बढ़ने पर, वह एक मिशन वाले व्यक्ति के रूप में पाया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

9.3 मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित और बड़ी संख्या में ऐसे अपराधों के लिए न तो विशेष रूप से प्रावधान किया गया था और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित किया गया था। बच्चों की यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी सुरक्षा के लिए पोक्सो अधिनियम लागू किया गया है।

9.4 इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि पोक्सो अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है भारत से। संविधान का अनुच्छेद 15, अन्य बातों के साथ साथ, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की राज्य की शक्तियों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 39, अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि राज्य विशेष

रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति का निर्देशन करेगा कि बच्चों की कम उम्र के साथ दुर्व्यवहार न हो और उनके बचपन और युवाओं का शोषण से बचाया जाए और उन्हें सुविधाऐं दी जाएं। स्वस्थ्य तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास करें। संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विधायिका ने यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया है।

9.5 जैसा कि उददेश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है, के अनुसार बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसके लिए भरत ने संधि पर हस्ताक्षर किए है, राज्य पक्ष (ए) किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए बच्चे के प्रलोभन या जबरदस्ती को रोकने के लिए सभी उचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे। (बी) वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन गतिविधियों में बच्चों का शोषणकारी उपयोग। प्रथाएं और (ग) अश्लील प्रदर्शनी और सामग्रियों में बच्चों का शोषणकारी उपयोग किया जाता है।

कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित कहा गया है -

1. राज्य दल सभी उपयुक्त विधायी कार्य करेंगे सुरक्षा के लिए प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय शारीरिक या मानसिक हिंसा, चोट या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाही उपचार, दुर्व्यवहार के सभी रूपों से बच्चा।

माता पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल के दौरान यौन शोषण सहित शोषण बच्चे की देखभाल।

2. इस तरह के सुरक्षात्मक उपायों में, जैसा उचित हो, शमिल होना चाहिए।

समाज की स्थापना के लिए प्रभावी प्रक्रियाऐं बच्चे के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम और उन लोगों के लिए जिनके पास बच्चे की देखभाल है, साथ ही साथ रोकथाम के अन्य रूपों के लिए और पहचान, रिपोर्टिंग, रेफरल, जांच, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बाल दुव्र्यवहार के उदाहरणों का वर्णन किया गया है।

उचित, न्यायिक भागीदारी के लिए कन्वेंशन पर सामान्य टिप्पणी सं0 13 विशेष रूप से बच्चे के सभी प्रकार की हिंसा से स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और यह देखा गया है कि बच्चों के खिलाफ कोई भी हिंसा उचित नही है। बच्चों के खिलाफ सभी हिंसा को रोका जा सकता है।

10. उपरोक्त उददेश्यों को ध्यान में रखते हुए और क्या प्रापत करने के लिए बच्चों को यौन उत्पीडन, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के तहत पोक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। बच्चों पर यौन हमले या यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और बच्चों पर यौन हमले, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नही दिखाई जानी चाहिए। यौन क्रिया के अनुरूप एक उपयुक्त सजा देकर हमला, यौन उत्पीडन, बड़े पैमाने पर समाज को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यदि कोई यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अश्लील उददेश्यों के लिए बच्चों के उपयोग के पोक्सो अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो उसे उचित दंड दिया जाएगा और कोई नरमी नही दिखाई जाएगी। बच्चों पर यौन हमले या यौन उत्पीड़न के मामले यौन संबंध के लिए विकृत वासना के उदाहरण है जहां निर्दोष बच्चों को भी इस तरह के अपमानजनक यौन सुख की खोज में नही बख्शा जाता है।

बच्चे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन है। देश की भविष्य। कल की आशा उन पर टिकी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे देश में एक बालिका बहुत ही असुरक्षित स्थिति में है। उसके शोषण के विभिन्न तरीके है, जिनमें यौन हमला भी शामिल है। और/ या यौन शोषण । हमारे विचार में, इस तरह से बच्चों का शोषण मानवता और समाज के खिलाफ अपराध है। इसलिए, बच्चे और विशेष रूप से बालिका पूरी सुरक्षा के हकदार है और उन्हें अधिक (2022)। एस.सी.आर. की आवश्यकता है। शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में देखभाल और सुरक्षा। जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम ओम के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है।

प्रकाश (2022) 5 एस.सी.सी. 745, बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है ऐसे मामलों में, अदालतों के कंधो पर जिम्मेदारी अधिक कठिन होती है ताकि इन बच्चों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। निपुण सक्सेना बनाम के मामले में। भारत संघ (2019) 2 एस.सी.सी. 703 इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यौन शोषण का शिकार होने वाली नाबालिग को एक बडी पीडित से भी अधिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि एक बड़ी पीडित व्यस्क होने के नाते भी समाज द्वारा किए गए सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन एक नाबालिग पीड़ित को ऐसा काना मुश्किल होगा। नाबालिग पीड़ितों के खिलाफ अधिकांश अपराधों की सूचना भी बहुत बार नही दी जाती है, अपराध का अपराधी पीड़ित का परिवार या कोई करीबी दोस्त इसका सदस्य होता है। इसलिए, बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराध करने वाले आरोपी के प्रति कोई नरमी नही दिखाई जा सकती है और विशेष रूप से जब यह अदालत के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य द्वारा सबित होता है।

10.1 वर्तमान मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपराध करने के समय आरोपी की आयु लगभग 65 वर्ष थी। वह पीडित लड़की का पडोसी था। उसने उसके माता पिता की अनुपस्थिति का लाभ उठाया, जब उसकी माँ पानी लेने गई थी और उसके पिता काम पर गए थे। उसे चार साल की एक लड़की पर गंभीर भेदक यौन हमला (जैसा कि उपर देखा गया है) करते हुए पाया गया है जो अभियुक्त की मानसिक स्थिति या मानसिकता को दर्शाता है। एक पडोसी के रूप में वास्तव में, यह आरोपी का कर्तव्य था कि वह पीड़ित लड़की की मासूमियत और भेयता का फायदा उठाने के बजाय उसकी रक्षा करें जब वह अकेली हो। पीड़ित लड़की मुश्किल से चार साल की थी। अभियुक्त अपीलार्थी पड़ोसी था। आरोपी ने बच्चे को समाज की बुराईयों के खिलाफ पिता जैसा प्यार, स्नेह और सुरक्षा दिखाने के बताय उसे वासना का शिकार बना दिया। यह एक ऐसा मामला है जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को बाधित किया गया है। इसलिए, आरोपी किसी भी तरह की सहानुभूति और / या किसी भी तरह की नरमी का हकदार नही है।

हालांकि धारा 6 के तहत अपराध के लिए सजा का प्रावधन किया गया है, क्योंकि यह इसके संशोधन से पहले और गंभीर भेदक यौन हमले के लिए तत्काल मामले में अपराध करने के समय था। कठोर कारावास एक ऐसी अवधि के लिए था जो दस वर्ष से कम नही होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरायी होगी। अब 16.08.2019 से प्रभावी संशोधित धारा 6 के अनुसार, प्रदान की गई न्यूनतम सजा बीस साल है और जो नवाबुददी के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना या मृत्यु के साथ भी उत्तरदायी होगा। इसलिए, प्रासंगिक समय पर पोक्सो की धारा 6 के तहत अपराध के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम 2012 दस साल का आर.आई. था और जो आजीवन

कारावास तक बढ़ सकता है। यह बताया गया है कि आज आरोपी की आयु 70-75 वर्ष है और यह भी बताया गया है कि वह तपेदिक (टीबी) से पीड़ित है। इसलिए, ऐसी कम करने वाली परिस्थितियां पर विचार करते हुए हमारी राय है कि यदि आजीवन कारावास की सजा को पंद्रह साल की सश्रम कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है और निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को बनाए रखा जाता है तो इसे अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप पर्याप्त सजा कहा जा सकता है।

11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए विवादित निर्णय और आई.पी.सी. की धारा 376 (2) (आई) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय और विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश और इसके तहत सजा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 को इसके द्वारा बरकरार रखा गया है। अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए सही ठहराया गया है। तथापि, उपर दिए गए कारणों से आजीवन कारावास की सजा को निम्नलिखित में परिवर्तित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने/मुआवजे के साथ पंद्रह (15) वर्ष का आर.आई. अब अभियुक्त पंद्रह (15) वर्ष आर.आई. से गुजरेगा और निचली अदालत द्वारा जुर्माने की पुष्टि की जाएगी। उपरोक्त अपराधों के लिए आजीवन कारावास के बजाय उच्च न्यायालय। वर्तमान अपील की आंशिक रूप से केवल उपरोक्त सीमा तक ही अनुमति है।

देविका गुजराल

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

Arjun Saw
(C.J.M. Godda)